कार्यालय प्राचार्य

नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर (छ0ग0)

क्रमांक/ 40 /2025 आरा,दिनांक 28.07-2025

:: अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन ::

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्र./289/01/आउशि./राज.स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23-07-2025 एवं छ.ग. शासन शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक-ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 23-07-2025 के अनुसार नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर छ.ग. में विषय रसायन शास्त्र मे अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन दिनांक 05.08.2025 के सायं 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

1. अतिथि व्याख्याता कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों मे शिक्षको और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानो के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अपिव.(असम्पन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण

क्रमांक	विषय का नाम	रिक्त पद एवं संख्या	
		प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	रसायन शास्त्र	01	01

टीप :- संबंधित विषयो में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूध्द कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्ते :-

01 आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक,स्नातकोत्तर,सेट/नेट, एम.फिल/पी.-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02 दिनांक 05.08.2025 तक कार्यालयीन समय मे डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनो को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदनको मान्य नहीं किया जायेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03 अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

04 प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 08.08.2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।

05 गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची मे दावा आपत्ति की तिथि 11.08.2025 तक होगी।

06 अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 12.08.2025 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07 आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व मे किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजन नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नही की गई है।

08 आवेदन उपरांत संबधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा मे कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा मे अगले चरणो में सम्मिलित नही किया जाएगा।

09 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10 अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41600 प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000 प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50000 प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000 प्रतिमाह अधिकतम)

11 आवेदक बंद लिफाफा के उपर पत्राचार का पता - प्राचार्य, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय,आरा,ढुठीअम्बा रोड ग्राम-आरा, जिला जशपुर (छ.ग.) पिन-496331 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

12 इस विज्ञापन के तहत अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने कहलायेगे।

13 संस्थान मे इस व्यस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संबधित संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी।

14 इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15 कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था के प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन,साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम,क्रीडा गतिविधियां,युवा उत्सव,आंतरिक परीक्षाओं का संचालन, एवं मूल्यांकन,नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो मे ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16 यदि कार्यवाधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाये तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रो में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होगे।

<u>नोटः-</u> जिन आवेदको ने पूर्व में आवेदन किया था वे पुनः आवेदन करें।

प्राचार्य
प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शास. महाविद्यालय
नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय,आरा
आरा, जिला जशपुर (छ.ग.)